खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

अक्तूबर, 2018 माह के लिए मासिक सारांश

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों की पहल के तहत आधार से जुड़ी बायोमिट्रिक अधिप्रमाणन सुविधाओं के साथ अब तक कुल 3,37,033 (63%) उचित दर दुकानों को स्वचालित कर दिया गया है। अन्न वितरण पोर्टल के अनुसार माह अक्तूबर, 2018 में कुल ई-पीओएस आधारित लेनदेन का लगभग 72 प्रतिशत (जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पीओएस प्रचालनरत हैं) लाभभोगियों के आधार/बायोमिट्रिक का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणित किया गया था।

- इस समय देश भर में राशन कार्डों की आधार सीडिंग लगभग 84 प्रतिशत (परिवार का कम से कम एक सदस्य) तथा राशन कार्ड डाटा में लाभार्थीवार आधार सीडिंग लगभग 78 प्रतिशत है।

- दिनांक 31.10.2018 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक 493.87 लाख टन (162.52 लाख टन चावल तथा 331.35 लाख टन गेहूं) है, जो अनुकूल स्थिति है।

- खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के माध्यम से माह अक्तूबर, 2018 की चौथी निविदा तक खुले बाजार में 20.13 लाख टन गेहूँ तथा 2.98 लाख टन चावल की बिक्री की गई है।

- खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के दौरान 31.10.2018 की स्थिति के अनुसार पूर्वी राज्यों में सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल के रूप में 0.06 लाख टन धान खरीदी गई है जबकि खरीफ विपणन मौसम 2017-18 की तदनुरूपी अवधि के दौरान 0.88 लाख टन की खरीद की गई थी।

- वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2018-19 के दौरान देश के अन्य भागों में खरीद तेजी से हुई है, जिसमें 370 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में धान के रूप में 100.92 लाख टन चावल की खरीद (दिनांक 31.10.2018 की स्थिति के अनुसार) पहले ही कर ली गई है। रबी विपणन मौसम 2018-19 के दौरान 320 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 357.95 लाख टन गेहूं की खरीद की है।

- जहां तक आधुनिक साईलोज के निर्माण का संबंध है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 85 स्थानों पर कुल 44.25 लाख टन क्षमता के लिए साईलो ऑपरेटरों का चयन कर लिया गया है, जिसमें से 13 स्थानों पर 6.25 लाख टन क्षमता का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 6.00 लाख टन के लिए निविदाएं

जारी कर दी गई हैं और 32.00 लाख टन के लिए 38 स्थानों की पहचान कर ली गई है।

- भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 30.09.2018 तक पीईजी स्कीम के अंतर्गत 141.76 लाख टन की संचयी क्षमता पूर्ण कर ली गई हैं।

- फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के सभी 530 प्रचालनरत डिपुओं पर डिपो ऑनलाइन प्रणाली (डीओएस) प्रचालित की जा रही है। केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में डिपो ऑनलाइन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए सभी 144 डिपुओं में कार्यान्वित की गई है।

- चीनी मिलों से प्राप्त ऑनलाइन रिपोर्टों के अनुसार चीनी मौसम 2018-19 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान घरेलू रॉ चीनी सहित गन्ने से चीनी का उत्पादन दिनांक 31.10.2018 की स्थिति के अनुसार अनंतिम रूप से 1.6 लाख टन अनुमानित है, जबकि विगत चीनी मौसम 2017-18 की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह 1.8 लाख टन था।

- दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 2017-18 के संबंध में गन्ना मूल्य बकाया की 85,195.79 करोड़ रुपए की देय राशि में से किसानों को 73,498.59 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तथा 11,697.20 करोड़ रूपए का गन्ना मूल्य बकाया देय था।

- सरकार ने चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात को सुगम बनाने के लिए आंतरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों के संबंध में किए जाने वाले व्यय का भुगतान करने के संबंध में दिनांक 05.10.2018 की अधिसूचना द्वारा एक स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के अंतर्गत आंतरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग तथा अन्य प्रभारों के संबंध में व्यय का भुगतान करके तटीय राज्यों में स्थित मिलों के मामले में पत्तन से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित मिलों के लिए 1000 रुपए प्रति टन, पत्तन से 100 किलोमीटर के आगे स्थित मिलों के लिए 2500 रुपए प्रति टन और तटीय राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में स्थित मिलों को 3000 रुपए प्रति टन की दर से अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में कुल व्यय लगभग 1375 करोड़ रुपए होगा, जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सहायता करने हेतु सरकार ने दिनांक 05.10.2018 को "चीनी मौसम 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता संबंधी स्कीम" अधिसूचित की है। इस स्कीम के अंतर्गत गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मौसम 2018-19 में पेराई किए गए गन्ने के लिए 13.88 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की दर से चीनी मिलों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल

उन्हीं मिलों को दी जाएगी जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगी। इस संबंध में कुल व्यय लगभग 4163 करोड़ रुपए होगा, जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।